Date:- 03.11.2022

PRESS NOTE

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 शातिर लुटेरे, लूट/चैन स्नैचिंग की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल/अवैध शस्त्र तथा नगदी सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में लूट/चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर पूर्णतयाः अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अभियान व विगत दिनो थाना कोतावाली शहर क्षेत्रान्तर्गत हुई चैन स्नैचिंग का प्रयास/घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शहर पुलिस को निर्देशित किया गया। इसी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) व क्षेत्राधिकारी, नगर के निकट पर्यवेक्षण मे स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 02.11.2022 को समय करीब 22.30 बजे मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान काली माता मन्दिर चौराहे के निकट बाइक सवार 02 युवकों को रोकने का प्रयास किया तो उक्त दोनो ने बाइक को दौडा दिया। पुलिस द्वारा बाइक का पीछा करते हुए रेलवे फाटक के निकट घेर घोंटकर अभियुक्तगण 1.निपेन्द्र कुमार (उम्र करीब 26 वर्ष) पुत्र स्व0 सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.शुभान्शु (उम्र करीब 23 वर्ष) पुत्र भंवर सिंह निवासी मौ0 कस्सावान रेती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मोटरसाइकिल हीरो स्पलैन्डर प्लस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 चाकू नाजायज व ₹ 19,100 /- बरामद किये गये। अभियुक्तगण की निशादेही पर अम्बेडकर छात्रावास की दीवार के पीछे झाडियों से जली हुई अवस्था में एक अन्य मोटरसाइकिल (स्पलैन्डर) बरामद की गयी। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 797/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम निपेन्द्र व मु0अ0सं0 798/22 बनाम शुभान्शु उपरोक्त पंजीकृत किये गये। **अभियुक्त निपेन्द्र उपरोक्त बटलर गैंग का सदस्य है, जोकि पूर्व में भी शहर के एक जूता व्यापारी व चिकित्सक से रंगदारी मांगने के मामले में जेल जा चुका है।**

पूछताछ का विवरणः- अभि0गण द्वारा पूछताछ में बताया कि उन्होने दिनांक 28/10/2022 को सांय के समय मौहल्ला नई बस्ती मे एक महिला के गले में चैन देखी तथा मौका पाकर उसे लूटने के इरादे से उस महिला के गले से चैन झपटकर भाग रहे थे तो एक व्यक्ति ने अपनी स्कूटी से हमारा पीछा करना शुरु कर दिया तथा शोर मचा दिया, अपने आप को घिरता देख उन्होने पीछा करने वाले स्कूटी सवार व्यक्ति पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया वहां से भाग गये। लूटी गयी चैन को उन्होने अगले ही दिन किसी राह चलते व्यक्ति को 25,000 रुपये में बेच दिया तथा रूपयों को आपस में बांट लिया जिसमें से कुछ पैसे खर्च हो गये है, बरामद ₹ 19,100 /- उसी के है। दो दिन पहले उन्होने सैन्ट मैरी रेलवे फाटक के पास स्कूटी से जा रही महिला से चैन झपटने की कोशिश की थी किन्तु भीड अधिक होने के कारण वे चैन नही लूट पाये तथा अपने को घिरता देख तमंचा लहराते हुए लोगो को डराते धमकाते हुए मौके से भाग गये। उसी रात उन्होने अपनी उस मोटरसाईकिल की पहचान मिटाने के लिए पैट्रोल छिडककर उसमें आग लगा दी और उसे छात्रावास की दीवार के पीछे झाडियों में छिपा दी थी। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 783/22 धारा 392/307 भादवि व मु0अ0सं0 794/22 धारा 398 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोगों में धारा 411/201 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पताः-

1.निपेन्द्र कुमार (उम्र करीब 26 वर्ष) पुत्र स्व0 सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम झलरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.शुभान्शु (उम्र करीब 23 वर्ष) पुत्र भंवर सिंह निवासी मौ0 कस्सावान रेती थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

02 मोटरसाइकिल (एक जली हुई अवस्था में), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 01 चाकू नाजायज तथा ₹ 19,100 /-

आपराधिक इतिहास अभि0गण उपरोक्तः-

अभियुक्त निपेन्द्र उपरोक्तः-

मु0अ0सं0 1086/19 धारा 120A/386/507 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 1088/19 धारा 120B/386/507 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 783/22 धारा 392/307 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 794/22 धारा 398 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 797/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त शुभान्शु उपरोक्तः-

मु0अ0सं0 783/22 धारा 392/307 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 794/22 धारा 398 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 798/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार / बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

सर्विलांस टीमः-

उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह (प्रभारी सर्विलांस), कां0 रईस अहमद, कां0 दीपक तोमर मय टीम

थाना कोतवाली शहरः-

प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार वशिष्ठ, व0उ0नि0 श्री मीर हसन, उ0नि0 श्री यश देव शर्मा, उ0नि0 श्री रामवीर शर्मा, कां0 अरविंद, कां0 अर्पित, कां0 विशाल

थाना किरतपुरः- आज दिनांक 03.11.2022 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1.तुषार पुत्र मुकेश कुमार 2.आदित्य कुमार पुत्र गजेंद्र कुमार निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना को0 शहरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना मण्डावली:- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित #महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।